भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1903

31 जुलाई, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी परिवारों के लिए ब्याज सब्सिडी योजना

†1903. डॉ. गुम्मा तनुजा रानीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) परिवारों के लिए, लाभार्थियों की संख्या और अब तक वितरित कुल सब्सिडी सहित ब्याज सब्सिडी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने की प्रक्रिया और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था है;

(ग) क्या निजी परियोजनाओं में मकान खरीदने के लिए रिडीमेबल हाउसिंग वाउचर के लिए कोई मानदंड हैं और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) रिडीमेबल हाउसिंग वाउचर का उपयोग करने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है और शहरी क्षेत्रों में आवास की सुलभता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त पक्के आवास उपलब्ध कराना है। यह योजना चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण-संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। ऋण-संबद्ध सब्सिडी योजना घटक 31.03.2022 को समाप्त हो गया और अन्य घटकों के लिए, वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने हेतु इस योजना अवधि को 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

ऋण-संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) घटक को राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) जैसी केंद्रीय

नोडल एजेंसियों (सीएनए) के माध्यम से एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में क्रियान्वित किया गया था। ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों द्वारा बैंकों और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। एमआईजी के लिए सीएलएसएस 31.03.2021 को और ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए सीएलएसएस 31.03.2022 को समाप्त हो गया। उचित जांच-पड़ताल के बाद, प्राथमिक ऋण संस्थानों (पीएलआई) के माध्यम से सीएनए द्वारा पात्र लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी जारी की गई। पीएमएवाई-यू के सीएलएसएस घटक के तहत 25,04,220 लाभार्थियों को कुल 58,868.4 करोड़ रूपये की ब्याज सब्सिडी प्रदान की गई है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेकर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और देश भर के शहरी क्षेत्रों में अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा किफायती लागत पर आवास बनाने, खरीदने और किराए पर लेने के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, आईएसएस घटक के तहत, उन पात्र लाभार्थियों को अधिकतम 1.80 लाख रुपये की ब्याज सब्सिडी जारी की जाती है, जिनकी आय 9 लाख रुपये तक है, 120 वर्ग मीटर तक के कारपेट क्षेत्र वाली 35 लाख रुपये तक की संपत्ति के लिए 25 लाख रुपये तक के गृह ऋण मूल्य हेतु 12 साल तक की अवधि के लिए पहले 8 लाख रुपये पर 4.0% की सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी लाभार्थी के ऋण खातों में 5 वार्षिक किस्तों में जारी की जाती है, बशर्ते कि सब्सिडी जारी होने के समय ऋण चालू हो और 50% से अधिक मूलधन बकाया हो। संभावित लाभार्थी https://pmay-urban.gov.in पर उपलब्ध एकीकृत वेब पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। अब तक, पीएमएवाई-यू 2.0 के आईएसएस घटक के अंतर्गत 8,357 लाभार्थियों को कुल 31.65 करोड़ रूपये की ब्याज सब्सिडी जारी की जा चुकी है।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, प्राइवेट डेवलपर्स एएचपी घटक के तहत अपनी स्वयं की उपलब्ध बाधा मुक्त भूमि पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर विशेष रूप से ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आवास परियोजना या कम से कम 25% ईडब्ल्यूएस आवासों के लिए आरक्षित एक मिश्रित आवास परियोजना का निर्माण कर सकते हैं। अनुमोदन के बाद, इन परियोजनाओं को पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत 'श्वेतसूचीबद्ध परियोजनाओं' की सूची में शामिल किया जाता है और डेवलपर योजना दिशानिर्देशों में उल्लिखित विभिन्न प्रोत्साहनों का लाभ उठा सकते हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 में ऐसी श्वेतसूचीबद्ध परियोजनाओं के अंतर्गत आवास खरीदने के लिए ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लाभार्थियों को रिडीमेबल हाउसिंग वाउचर (आरएचवी) के रूप में केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। आवास वाउचर चयनित लाभार्थियों के नाम पर जारी

किए जाएँगे और बिक्री के बाद डेवलपर द्वारा इनका नकदीकरण किया जाएगा। अभी तक, महाराष्ट्र में आरएचवी का लाभ उठाने के लिए 1,951 आवास इकाइयों का प्रस्ताव रखने वाली एक श्वेतसूचीबद्ध परियोजना को स्वीक़ृति दी गई है और परियोजना निर्माण के प्रारंभिक चरण में है।

*****